

**आशीष / इन्डा**

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहका हुकम में तारीख हुकम</p>
<p><u>01/5/24</u></p>	<p>फावली पैरा ड्रई वकील उमयपषगरान् उपस्थित । जब पुई में पैरा मिला जा चुका है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीमग अन्य के अतीत बेचकर हजार कहजें कपट में रखल अंदगी करेगी। अटः स्ट प्रथम रखा बीग मप्रार्थीस 3 एन 21 न सैराज पैरा किया कि प्रार्थी स्वयं अजली करा है तथा स्वयं भूमि खरीदी है तथा कबः सहय्वारदार के 11 के पावर करा रखा है। अटः <del>है ह्यार है</del> निवेदन है अलपषग के जुना गया फावली वास्ते कगिन आका निवे 08/5/24 के पैरा ही है।</p>	
<p><u>08/5/24</u></p>	<p>फावली पैरा ड्रई वकील उमयपषगरान् उपस्थित पूर्व में पैरा बहस इस प्रकार रही कि गल गायबेश तहसील बुहान स्थित भूमि जलाबती संवत् 2070-78 के खारा सं 249 के खनः नं 2/228 रखा 3.165 म. के वादी 157/9900 का खारदार है। शेष पर प्रतिवादीस । ल 24 दर्ज लिड है। उम्टा भूमि सिवांग-चिवा रीट पर स्थित है। गिब गरण उमत् भूमि की प्रतिवादी बेचने पर आबदा है अटः दावा खारा विलाजन है अतः जब तक खारा विलाजन है कस्पार निषेधाज्ञा जारी रहेगी। वकील प्रतिवादी/अप्रार्थीने बहस पैरा की स्वयं वादी अजली कैता है तथा प्रतिवादी पूर्व के खारदार है तो उनके खिलाफ वादी के स्वयं निषेधाज्ञा का दावा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। फावली का कथमन मिला गया । बाद बहस व लिड के आधार पर जुनि गल प्रापा खारा विलाजन का है तथा वादी व प्रतिवादी सहय्वारदार है अतीत उमयपषग पर स्थित है अतः खारा विलाजन होने तक निषेधाज्ञा प्रभावत रहेगी। फावली के फैसला सर इलास जुनाया गया । फावली फैसल जुनाए ही गवबर के क है।</p>	